5655
24/4/17

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक–96/स्था0, दिनांक–19.01.2012 एवं पत्रांक–181/स्था0, दिनांक 06.02.2013
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–4001, दिनांक 28.04.2012, पत्रांक–7591, दिनांक 29.06.2012 एवं संकल्प सं0–8800, दिनांक 07.10.2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–185, दिनांक 20.12.2016

सुश्री मिनाक्षी भगत, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला–लोहरदगा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुसाबनी–सह–अंचल अधिकारी, मुसाबनी की कार्यावधि से संबंधित आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–96/स्था0, दिनांक–19.01.2012 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को तथा पत्रांक–1484, दिनांक–10.03.2012 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र–'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं–

आरोप सं0–1. सुश्री मीनाक्षी भगत, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, मुसाबनी दिनांक–20.10.2011 से बगैर अवकाश स्वीकृति के अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित हैं।

आरोप सं0–2. इनके द्वारा पैर में चोट/मोच होने की सूचना फैक्स के माध्यम से दी गयी, परंतु इस संबंध में उपायुक्त को सूचना एवं अनुमति प्राप्त किये बगैर ये मुख्यालय से प्रस्थान कर गयीं एवं मोबाईल को भी बन्द कर दिया गया।

आरोप सं0–3. इनके द्वारा फैक्स के माध्यम से बार–बार अवकाश अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र भेजा जाता रहा, जबकि इनके द्वारा अपनी चिकित्सा राँची में कराई जा रही है। किसी भी आवेदन पत्र में मुख्यालय वापस लौटने की कोई नियत तिथि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

आरोप सं0–4. इनकी अनुपस्थिति एवं लापरवाही के कारण मुसाबनी प्रखण्ड एवं अंचल का प्रभार अन्य पदाधिकारियों को सौंपना पड़ा।

आरोप सं0–5. अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उपायुक्त द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जिसका उत्तर समर्पित नहीं किया गया।

आरोप सं0–6. दिनांक– 20.12.2011 को उप विकास आयुक्त द्वारा मुसाबनी प्रखण्ड में मनरेगा की समीक्षात्मक बैठक में कुछ रोजगार सेवकों द्वारा बतलाया गया कि ये दो दिन पूर्व आकर अपने आवास से अपना घरेलू सामान लेकर चली गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये पुनः मुसाबनी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगी एव यह भी स्पष्ट है कि ये स्वस्थ हैं।

आरोप सं0–7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं उदंडता बरती जा रही है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–4001, दिनांक 28.04.2012 द्वारा सुश्री भगत से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 14.05.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक–7591, दिनांक 29.06.2012 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से सुश्री भगत के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं इसके लिए स्मारित किया गया। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–181/स्था0, दिनांक 06.02.2013 द्वारा सुश्री भगत के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–8800, दिनांक 07.10.2016 द्वारा सुश्री भगत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक–185, दिनांक 20.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान सुश्री भगत द्वारा समर्पित बचाव–बयान आरोपवार निम्नवत् है–

1. इनका कहना है कि ये दिनांक 19.10.2011 को विधि–उपसमाहर्त्ता कार्यालय के मौखिक आदेशानुसार दिनांक 20.10.2011 को वाद संख्या–5165/2011 में प्रतिशपथ दायर करने हेतु उच्च न्यायालय में उपस्थित थीं।

2. इनके द्वारा पैर में चोट के संबंध में मुख्यालय से फैक्स नहीं किया गया था बल्कि उस वक्त ये मुख्यालय से बाहर थीं तथा अस्वस्थ होने पर इसकी सूचना फैक्स के माध्यम से भेजी गयी थी। दूरभाष पर उपायुक्त महोदया से संपर्क नहीं होने पर उप

विकास आयुक्त महोदय को सूचना दी गयी थी तथा आकिस्मक अवकाश हेतु अनुरोध भी किया गया था, जिसकी उन्होनें मौखिक रूप से स्वीकृति प्रदान की थी। अस्वस्थ होने के कारण विश्राम हेतु मोबाईल कुछ समय के लिए बंद किया गया था।

3. पैर में चोट लगने के कारण ये चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थीं, अतः वैसे हालत में मुख्यालय वापस लौटना इनके लिए संभव नही था। साथ ही, ये पेट की बीमारी से भी ग्रसित थी तथा बुखार व उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टर से चेकअप कराने पर Hepatitis की पुष्टि की गयी तथा बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ होने के कारण इन्हें Medication तथा Bed Rest की सलाह दी गयी थी। जिसके संबंध में ये अपने Check up तथा अवधि विस्तार हेतु आवेदन भेजती रही। Check up slip में समय का उल्लेख नहीं किया गया था, अतः आवेदन मे किसी स्पष्ट तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था।

4. ये अपने कार्य से अस्वस्थ होने के कारण अनुपस्थित थी, परन्तु इससे पूर्व में भी मुसाबनी अंचल में एक पदाधिकारी की पदस्थापना की गयी थी, जिन्होनें जिला में योगदान भी दिया था परन्तु उन्हे वापस कर दिया गया था। जबकि अन्य सभी पदाधिकारी का उसी दौरान अन्य जिले मे योगदान ले लिया गया था।

5. ये दिनांक 20.10.2011 से ही न्यायालय संबंधी कार्य तथा अस्वस्थ होने के कारण मुख्यालय से बाहर थी, जिससे उक्त स्पष्टीकरण के संबंध में इन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। चूँकि इनकी उप विकास आयुक्त महोदय से दूरभाष पर बात हुई थी, अतः ये स्पष्टीकरण के संबंध में पूरी तरह अनभिज्ञ थी।

6. दिनांक 20.12.2011 को बैठक में रोजगार सेवकों द्वारा यह बताया जाना कि ये स्वयं वहाँ आकर अपना सामान लेकर गयी हैं– यह पूरी तरह गलत है क्योंकि उस वक्त ये अस्वस्थ होने के कारण इलाजरत थीं। अतः अपने घरेलू चालक को कुछ जरूरी कागजात व सामान लेकर आने हेतु अपनी निजी वाहन भेजी थी। जरूरी कागजात व सामान के आलावे कुछ भी वहाँ से हटाया गया था और न ही अपनी आवास खाली किया गया था।

7. इनके द्वारा कभी किसी वरीय पदाधिकारी के किसी आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है। अपने सेवाकाल के आरंभ से ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित होते हुए भी प्रखण्ड व अंचल के कार्य के अलावे पंचायती चुनाव का कार्य का निर्वहन इनके द्वारा भली भांति किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य आरोपवार निम्नवत् है–

1. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम का आरोपी के बचाव वयान पर मन्तव्य है कि आरोपी को मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उन्हें उपायुक्त से लिखित/मौखिक रूप से अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी। सरकारी कार्य से उप–समाहर्त्ता, विधि के कार्यालय के मौखिक आदेश से माननीय उच्च न्यायालय के कार्य से मुख्यालय का परित्याग करने के कारण यदि शीघ्रतावश उपायुक्त की लिखित/मौखिक अनुमति प्राप्त करना सम्भव नहीं था तो भी उक्त आशय की सूचना उन्हे उपायुक्त को लिखित/मौखिक रूप से मुख्यालय छोड़ने के पूर्व देनी चाहिये थी, जो नही दी गयी। यह चूक उनसे हुई है। यद्यपि 21.10.2011 के आवेदन में उन्होने इस तथ्य का जिक्र किया है कि विधि उप–समाहर्त्ता के कार्यालय से मौखिक आदेशानुसार 19.10.2011 एवं 20.10.2011 को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् उनकी तबीयत अचानक खराब हो गयी। आरोपी के द्वारा 21.10.2011 एवं 22.10. 2011 के लिये आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का आवेदन दिया गया है।

2. आरोपी के द्वारा प्रस्तुत रिम्स, राँची के निबंधन पुर्जा, दिनांक 22.10.2011 के अवलोकन से आरोपी के दायें पैर मे चोट लगने की पुष्टि होती है। लेकिन आरोपी को यदि उपायुक्त से दूरभाष पर सम्पर्क नहीं हो सका, तो अस्वस्थता की सूचना SMS भेजकर भी दी जा सकती थी। ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनसे यह चूक हुई। अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। अवकाश की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक था।

3. चूँकि आरोपी को पैर में चोट राँची में लगी थी तथा दिनांक 23.11.2011 का रिम्स के निबंधन पुर्जा के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उन्हें लीवर सम्बन्धी तकलीफ थी, अतः यह आरोप सही नही प्रतीत होता है कि वे मुख्यालय मे ही रहकर ईलाज कराते हुए कार्यो का सम्पादन कर सकती थी। यह सच है कि किसी भी आवेदन–पत्र में आरोपी के द्वारा आवेदित अवकाश की अवधि का जिक्र नहीं किया गया है। दिनांक 22.10.2011, 05.11.2011, 10.12.2011, 26.12.2011, 10.01.2012, 23.02.2012 एवं 22.03.2012 को हस्ताक्षारित आवेदनों में पूर्णतया स्वस्थ होने तक अवकाश को विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। स्वस्थ होने की कोई निश्चित अवधि डॉक्टर द्वारा नहीं बताये जाने के कारण इनके द्वारा अवकाश आवेदन में तिथि का उल्लेख नहीं किया गया।

4. आरोपी अस्वस्थतावश मुख्यालय से अनुपस्थित थीं। रिम्स के निबंधन पुर्जा से अस्वस्थता की पुष्टि होती है।

5. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम का ज्ञापांक 1327/स्था0, दिनांक 04.11.2011 सुश्री मिनाक्षी भगत, प्र0वि0पदा0, मुसाबनी को सम्बोधित है। चूँकि आरोपी उक्त अवधि में मुसाबनी मे थी ही नहीं, इसलिये आरोपी को स्पष्टीकरण का पत्र प्राप्त नही हुआ होगा, यह सहज रूप से अनुमान्य है।

6. प्रतीत होता है कि चालक के द्वारा आरोपी के निजी वाहन से सामान ले जाते हुए देखे जाने पर रोजगार सेवकों को गलतफहमी हुई होगी कि आरोपी स्वयं मुसाबनी आयी थी। आरोपी के कथन को असत्य मानने को कोई आधार नहीं दिखता है। रिम्स के निबंधन पुर्जा से उक्त अवधि मे आरोपी के ईलाजरत रहने की पुष्टि होती है।

7. उपर्युक्त तथ्यों से आरोपी के विरूद्व कर्त्तव्य मे लापरवाही, उदासीनता तथा उद्दण्डता बरतने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

सुश्री भगत के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन–सह– मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि सुश्री भगत के अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण मुसाबनी प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी। सुश्री भगत ने दिनांक 07.01.2011 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, मुसाबनी के पद पर प्रभार ग्रहण किया था। प्रभार ग्रहण करने के उपरांत दिनांक 25.04.2011 से दिनांक 08.05.2011 तक ये अवकाश पर थीं। इसी क्रम में उन्होंने दिनांक 14.05.2011 को स्वेच्छा से त्याग पत्र समर्पित किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इन्होंने दिनांक 20.10.2011 के बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, मुसाबनी के पद पर कभी योगदान नहीं दिया। बाद में विभागीय अधिसूचना सं0– 5588, दिनांक 24.06.2013 द्वारा इनका पदस्थापन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर किया गया। अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप पर सुश्री भगत के बचाव बयान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ये दिनांक 15.10.2011 को विधि उप समाहर्त्ता कार्यालय के मौखिक आदेशानुसार दिनांक 30.10.2011 को W.P.(S) No. 5165/2011 में प्रतिशपथ दायर करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में उपस्थित हुई थीं, किन्तु उसके बाद मुख्यालय वापस नहीं लौटीं और न ही मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी को दी। इनके बचाव बयान से यह भी स्पष्ट है

कि इन्हें पैर में चोट लगी थी, चलने–फिरने में असमर्थ थी, पेट की बीमारी से ग्रसित थी तथा बुखार एवं उल्टियाँ हो रही थी। उक्त परिस्थिति में वे उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से मोबाईल पर सम्पर्क कर सकती थीं तथा फोन नहीं लगने पर एस0एम0एस0 कर सकती थी एवं लिखित आवेदन भी डाक से भेज सकती थी, परन्तु सुश्री भगत द्वारा अपनी अस्वस्थता की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी को नहीं देना सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(i), (ii), (iii) के प्रतिकूल है।

अतः समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु **सुश्री मिनाक्षी भगत को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(i) के तहत् 'निन्दन'** की सजा दी जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री मिनाक्षी भगत, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24.4.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 / आरोप–1–836 / 2014 का०–5655 / राँची, दिनांक 24 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रधान सचिव कोषांग / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा / उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर / उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4 / प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग) / सुश्री मिनाक्षी भगत, झा0प्र0से0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव।